

21.06.23

वकील अपीलान्त अनुपास्थित । वकील अपीलान्त को  
कई बार आवेदों खिलाई गई किन्तु अपीलान्त  
अभिभाषक या स्वयं अपीलान्त कोई उपास्थित  
नहीं आया । बाबलूद सूचना निषेध दिगंत को  
उपास्थित नहीं होने के कारण यह पत्रावली  
अल्प दायरी अल्प पेंसरी में खारिज की जाये  
हे । पत्रावली फुलल शुमार होकर बाद पूर्ण  
दारावल दफ्तर की जावे ।

अतिरिक्त संधागीय आयुक्त  
भरतपुर